10.09.2018	सरकारी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2012 के द्वारा प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को रेफरेन्स किया गया था। राजस्व मंडल द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/450/20013/जालोर अनवान सरकार बनाम जेरा पुत्र अणदा कौम भील सानि दांतवाडा के कायम मुकाम लवजी पुत्र जैरा वगैराह में पारित निर्णय 16.01.2015 के द्वारा निर्देश दिए कि इस न्यायालय के व्यक्त मत अनुसार प्रकरण का पुन: परीक्षण कर वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलत: जिस आदेश से सृजित हुए है,उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर नये सिरे से रेफरेन्स करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार रेफरेन्स प्रकरण का परीक्षण हेतु मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में पुन: परीक्षण करे और बाद परीक्षण पुन: रेफरेन्स मंडल को अभिशंषित करने की कार्यवाही करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सही — जिला कलेक्टर जालोर	